सभी फोटो: पुरुषोत्तम दिवाकर

16 बरस की बीवी बख्तू और बेटे के साथ 60 साल का निहाल खान. उसने बख्तू को पाने के लिए रोशन खान को 50,000 रु. अदा किए...

4W046

बूढ़ों का यौवन

■ रोहित परिहार, रोहिली में

शफी खान जांजिया के लिए इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती थी. 40 साल की उम्र में वे दमक रहे हैं. उनकी सूती, रंगीन पगड़ी रेगिस्तानी पृष्ठभूमि में रंग बिखेर रही है. पीछे डूबता सूरज एक दिन के अंत का ही नहीं, जीवन के एक अध्याय की समाप्ति का भी प्रतीक है. सामने लंगा जनजाति के लोग रोमांटिक लोकगीत गाते झूम रहे हैं और जांजिया खूबसूरत दुलहन सतबाई के साथ जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं.

कुल 14 साल की सतबाई पति से आधा किलोमीटर दूर बैठी है. सोने के परंपरागत गहनों में चमकती. लेकिन सोने की चमक भी उसकी आंखों की उदासी छिपा नहीं पाती. परिवार में इस उदासी की तरफ कोई गौर नहीं करता. परिवार के लिए तो इस शादी से मिले 25,000 रु. ही मायने रखते हैं. फिर जांजिया की 12 वर्षीया बहन का रिश्ता सतबाई के 22 साल के भाई के लिए कबूल कर लिया गया है. खासा फायदे का सौदा है यह.

रोहिली के ग्रामीण भी इससे सहमत होंगे. राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों—जिनके तहत रोहिली आता है—में तो यह समय के साथ चलने का चिन्ह है. बाल-विवाह अब अतीत की बात हो गए हैं. दूल्हे-दुलहन की आयु में भारी अंतर वाली शादियां अब ज्यादा प्रचलन में हैं. खासकर इस क्षेत्र के पांच लाख मुस्लिमों में. एक ग्रामीण कासिम खान जांजिया कहता है, ''बेटियों के बदले पैसा लेना लालच का द्योतक है और यह अब महामारी की तरह फैल रहा है.''

लेकिन लालच तो एक ही कारण है. दूसरी बाध्यताएं भी हैं. इन क्षेत्रों में पितृ सत्तात्मक परिवार की परंपराएं यही स्थापित करती हैं कि दुलहन जितनी छोटी उम्र की हो, उतनी ही अधिक उपयोगी होती है—चाहे घर चलाना हो, बच्चे पैदा करने या फिर पति की यौन संतुष्टि. बाड़मेर जिले के नागे का पार गांव में 60 साल के निहाल खान को दूसरी पत्नी 16 वर्षीय बख्तू से बेटा हुआ है. पहली पत्नी से उसे चार बेटियां हैं लेकिन एक बेटे के लिए वह तरस रहा था. यह इच्छा दूसरी, जवान बीवी ही पूरी कर सकती थी. और रोशन खान 50,000 रु. के बदले बेटी की शादी को तैयार भी था! बदले में उसे बतौर बीवी निहाल खान की 11 वर्षीय बेटी बीखी भी मिल गई. बेटियों की अदला-बदली दोनों को रास आई. अब दोनों बूढ़े कमसिन बीवियां पाकर खुश हैं. बीखी का गर्भपात हो चुका है और एक मृत शिशु को वह

...जवाबी सौदे के तहत 60 साल के रोशन खान ने भी निहाल खान की 11 वर्षीया बेटी बीखी से ब्याह रचा लिया.

इलाके में माना जाता है कि जवान लड़कियां अच्छी बीवी साबित होती हैं. इसलिए बूढ़े मर्द फायदा कमाने के इच्छुक मां-बाप से ऐसे सनकभरे सौदे करने को प्रवृत्त हो रहे हैं.

जन्म दे चुकी है. रोशन की पहली पत्नी से उसके सौतेले बेटों की शादियां हो चुकी है. वे उससे दुगनी उम्र के हैं. पर रोशन को परवाह नहीं, उसकी दलील है, ''आखिर एक औरत तो चाहिए ही.''

बीखी भावनाशून्य है. घर का कामकाज निपटाते-निपटाते वह घूंघट संभालती रहती है जिससे उसका मिर और प्लास्टिक की चूड़ियों वाला बांहों का ऊपरी हिस्सा ढंका रहता है. अपने शौहर के बारे में वह कहती है, ''वह काम नहीं करता.'' बीखी को सूखा राहत कार्य शुरू होने का इंतजार है ताकि दिहाड़ी पर काम कर सके.

सामाजिक कार्यकर्ता मुमताज बेन यह सब देख कर विस्मित हैं. आखिर राजस्थान के पुरुष अपनी औरतों का जीवन इतना दुरूह क्यों कर देते हैं? वे बताती हैं, ''राजपूत अपनी लड़कियों को जन्म के समय ही मार देते थे. अब मुस्लिम अपनी लड़कियों से हर चीज छीन उन्हें धीमी मौत की ओर धकेल रहे हैं.'' यह भी विडंबना है कि सदियों पहले बाल-विवाह की शुरुआत लड़कियों की सुरक्षा के लिए ही हुई थी. बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों से युवा हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए इसकी आड़ ली जाने लगी, क्योंकि लूट में वे लड़कियां भी ले जाते थे. समय के साथ-साथ इस क्षेत्र के मुसलमानों में भी बाल-विवाह को सुविधाजनक प्रथा मान लिया गया. आज पैसा लेकर लड़कियों को बड़ी उम्र के पुरुषों को देने का चलन बढ़ रहा है.

और यह धंधा खूब चल रहा है. बाड़मेर के छापड़ी गांव के जम्मू खान भैया ने तीन अल्पवयस्क बेटियों—8 साल की असीदन, 12 बरस की शकीना और 14 वर्षीया विस्तन की शादियां उनसे तीन से चार गुना बड़े पुरुषों से की हैं. सबसे छोटी अभी वय:संधि में नहीं पहुंची, सो, वह पति के पास नहीं गई है. जम्मू मानता है कि उसने हर बेटी की शादी के लिए 50,000 रु. वसूले हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उसने कम से कम पांच लाख रु. कमाए हैं.

बाड़मेर जिले के कपूरली गांव के चिन्नेसर खान पूछते हैं, ''ऐसी शादियों में बुराई क्या है? और हम पैसा किस तरह कमाएंगे?'' इस सनकी पिता ने अपनी 14 वर्षीय बेटी जमीला की शादी लखौताली के 48 वर्षीय अली खान से कर दी. अली ने चिन्नेसर को दो लाख रु. कीमत की जमीन देने का वादा किया था. लेकिन जब अधिक बड़ी उम्र के वर जमीला का हाथ मांगने लगे तो चिन्नेसर ने जमीन के साथ-साथ 25,000 रु. नगद की मांग भी कर दी.

भूमिहीन अली जमीला को उसके माता-पिता के पास छोड़ गुजरात में रोजी कमाने गया है. जमीला बुदबुदाती है, ''यह ठीक नहीं है.'' पर उसका बाप उसे घुड़क कर बकरी का दूध दुहने को कहता है. अली का भाई हुसैन खान कहता है, ''परिवार का वृक्ष बढना चाहिए और युवा लड़की इसके लिए बहुत उपयोगी है.''

बेमेल शादी में कई बार दूल्हा दुलहन से बहुत

छोटा होता है. यह भी औरत के लिए घाटे का सौदा है. बाड़मेर जिले में मेकन का पार गांव की काले-चमकीले बालों वाली 20 वर्षीया रेशमा शादी के साल भर भीतर ही विधवा हो गई. उसके पिता मिठा खान ने 60,000 रु. लेकर उसकी शादी टीबी मरीज 10 वर्षीय रेशम खान से कर दी थी. रेशम के पिता को बीमार बेटे की देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी और मिठा खान उसकी पेशकश पर उछल पड़ा था. तो अब रेशमा का क्या होगा. हसन ने उसके भविष्य का फैसला कर दिया है,

40 वर्षीय शफी खान ने 14 बरस की सतवाई के पालकों को 25,000 रु. दिए और सतवाई के भाई को अपनी 12 वर्षीया बहन देने का वादा किया.

"हमारे समाज में बेवा की शादी देवर से हो जाती है." लिहाजा रेशमा का अगला शौहर 8 वर्षीय देवर अकबर खान होगा. विलाप करती रेशमा अपना सिर पटकती है पर जानती है कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकती. उसका चाचा इद्दा खान कहता है, "उसके साथ यह ज्यादती हो रही है पर हमें अपने समाज के नियमों का पालन करना ही होगा."

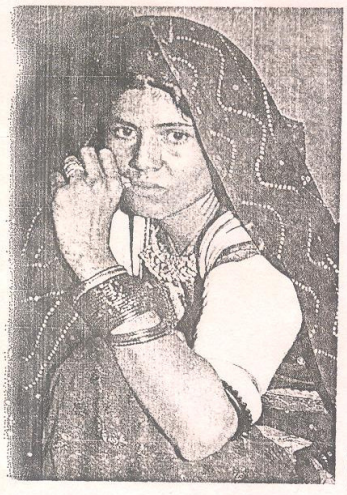

20 वर्षीया रेशमा की शादी 10 साल के रेशम खान से हुई जो मर गया. अब उसकी शादी रेशम के 8 वर्षीय भाई अकबर (नीचे) से होगी.

ऐसी घटनाओं की बनिस्बत सरकारी अफसरों का इनसे अनजान रहना अधिक हैरान करने वाला है. पिछले साल तक बाड़मेर के कलेक्टर रहे ए.के. हेमकर समाज कल्याण निदेशक हैं. उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी घटनाओं के बारे में कभी सुना ही नहीं. बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल कहते हैं कि "मुझे शक है कि हमें इस समुदाय से ऐसे मामलों की कोई सूचना या किसी तरह की मदद मिलेगी और हम दोषियों को सजा दे सकेंगे."

यदि 18 साल से ऊपर का कोई युवा अल्पवयस्क लड़की से शादी करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है. इसी तरह अल्पवयस्क लड़के-लड़की की शादी करवाने वाले के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है और 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध रखने वाले को बलात्कार का दोषी माना जा सकता है, भले ही यौन संबंध में पत्नी की रजामंदी हो. पर अब तक एक भी लड़की इस तरह की शिकायत दर्ज करवाने नहीं आई है. जयपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक अजीत सिंह शेखावत कहते हैं, "हम इतनी छोटी लड़कियों से यह उम्मीद नहीं करते कि वे चिकित्सकीय जांच करवाएंगी."

सरकार बदलाव लाने की इच्छुक नहीं दिखती पर लड़कियों को उनके हाल पर छोड़ देना भी तो समस्या का हल नहीं है. एक विकास संगठन *उन्नति* के कार्यक्रम प्रबंधक सुजीत सरकार को लगता है कि बेमेल शादियों का पता लगाने में मौलवियों की मदद अहम हो सकती है. मुमताज बेन का इरादा लड़कियों में चेतना जगाने और उनके क्रूर बाप और खाविंदों को सही रास्ते पर लाने के लिए लोक-अभियान चलाने का है. पर इन लोगों के जड़ मनु-मस्तिष्क को देखते यह काम आसान नहीं लगता. रेगिस्तान में दौड़ती एक बस के पीछे लिखा एक वाक्य इस निराशाजनक स्थिति की याद दिला देता है—*आ तो यूं ही हलेला*-यानी हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे. ■